कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

सी–ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं.–2, तुलसी नगर, भोपाल–462003

क्रमांक / एफ–3 / 16 / 2018 / 10–11 / 1284 भोपाल, दिनांक 27-2-24

प्रति,

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,
जोरबाग रोड़, नई दिल्ली–110003

विषयः–जिला होशंगाबाद, बैतूल, हरदा एवं खण्डवा के अन्तर्गत मोरण्ड–गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 2250.05 हे0 वनभूमि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को उपयोग पर देने बाबत्। (FP/MP/IRRIG/36231/2018)

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली का पत्र क्र. 8-16/2023-FC दिनांक 16.02.2024

––0––

विषयांतर्गत प्रकरण में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र से चाही गई (v) बिन्दुओं की जानकारी आवेदक विभाग से प्राप्त की जाकर निम्नानुसार संलग्न प्रेषित है :–

S.No	Conditions	Compliance
i	In order to have actual assessment of the no. of trees involved in the project, the species wise and girth class wise complete enumeration of the trees falling in proposed diversion area as requested has not been submitted by the State Govt. which needs submission.	इस संबंध में आवेदक संस्थान ने लेख किया है, कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 29.12.2023 से जारी गाईडलाइन के बिन्दु क्र. 1.4 (vi) में यह प्रावधानित किया है कि 10 हेक्टेयर से अधिक के प्रकरणों में वृक्षों की गणना सेम्पल प्लाट या कार्य आयोजना के अनुसार की जा सकती है। सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति परिशिष्ट–1 पर संलग्न है। प्रस्ताव में वनमण्डल नर्मदापुरम एवं हरदा में सेम्पल प्लाट डालकर वृक्षों की गणना की गई है। अतः इसे मान्य करने का अनुरोध है। प्रकरण में वनमण्डल उत्तर बैतूल, पश्चिम बैतूल एवं खण्डवा में प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना वास्तविक आधार पर कर ली गई है, वनमण्डल हरदा एवं नर्मदापुरम में वास्तविक आधार पर वृक्षों की गणना का कार्य प्रचलित है। जिन्हे शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जावेगा।
ii	The study of the possible impacts of the project on the Biodiversity and Wildlife by Wildlife Institute of India along with the specific recommendation from the CWLW and State Govt. as requested has not been submitted by the State Govt. which needs submission.	इस संबंध में आवेदक संस्था ने अवगत कराया है कि प्रभावित वनक्षेत्र में वन्यप्राणी प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु संक्षम संस्थाओं को लेख किया गया है। विभिन्न संस्थाओं को लेख किये गये पत्र की प्रति परिशिष्ट–2 पर संलग्न है। भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 16.01.2023 के अनुसार वन्यप्राणी प्रबंधन योजना सैद्धान्तिक स्वीकृति के पश्चात प्रस्तुत की जा सकती है। इसके अतिरिक्त आवेदक संस्था परियोजना लागत की 2 प्रतिशत राशि जमा करने हेतु सहमत है।

–2–

<table>
<tr>
<td>iii</td>
<td>The recommendations/comments of National Tiger Conservation Authority (NTCA) on the instant proposal as requested has not been submitted by the State Govt. which needs submission.</td>
<td>आवेदक संसथान ने लेख किया है, कि भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 16.01.2023 के अनुसार वन्यप्राणी प्रबंधन योजना सैद्धान्तिक स्वीकृति के पश्चात प्रस्तुत की जा सकती है। वन्यप्राणी प्रबंधन योजना औपचारिक स्वीकृति के पूर्व प्रस्तुत कर दी जावेगी।</td>
</tr>
<tr>
<td>iv</td>
<td>Necessary action as per rules to seek the requisite recommendations of NBWL/ SBWL as requested has not been taken by the State Govt. which needs submission.</td>
<td>इस संबंध में आवेदक संस्था ने लेख किया है कि NBWL/SBWL की स्वीकृति औपचारिक स्वीकृति के पूर्व प्रस्तुत कर दी जावेगी।</td>
</tr>
<tr>
<td>v</td>
<td>The complete CA scheme, along with relevant documents, revenue record, maps and KML fles for the total non-forest land proposal for Compensatory Aforestation and to ensure that the proposed area is free from all encumbrances as requested has not been submitted by the State Govt. which needs submission.</td>
<td>आवेदक संस्थान द्वारा परियोजना को चरणबद्व तरीके से बनाया जाना प्रस्तावित किया है। अभी आवेदक संस्थान को 116.27 हेक्टेयर वनभूमि की आवश्यकता है इसलिए प्रथम चरण हेतु 116.27 हे0 वनभूमि के विरूद्व जिला जबलपुर मे प्राप्त 170.00 गैर वनभूमि की वृक्षारोपण योजना तैयार की जाकर पूर्व में ही आपको प्रेषित की गई है।

प्रकरण में जिला आगर मालवा में प्राप्त 275.28 हे0 गैर वनभूमि में से 212.42 हे0 राजस्व भूमि का कब्जा प्राप्त किया जाकर वृक्षारोपण योजना तैयार की ली गई है। जिसकी तकनीकी स्वीकृति आदेश की प्रति संलग्न है। शेष 62.86 हे0 राजस्व भूमि का कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही प्रचलित है।
परियोजना का चरणबद्व विवरण निम्नानुसार है :–
<table>
<tr><th>S No.</th><th>Phase</th><th>Component</th><th>Proposed area in Ha.</th></tr>
<tr><td>1</td><td>First</td><td>Dam Seat and Sluice, Pipeline PH/DC, Spillway channel with Fish Ladder, Approach & Diversion Road, Transmission Line</td><td>116.27</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Second</td><td>(FRL-4)</td><td>1135.57</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Third</td><td>(FRL-4)</td><td>616.748</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Fourth</td><td>(FRL)</td><td>381.462</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Total</td><td>2250.05</td></tr>
</table>
भारत सरकार द्वारा दिनांक 29.11.2023 को जारी गाइड लाइन के अध्याय 9 में बिन्दु क्रमांक 9.1 में यह प्रावधानित किया गया है कि क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना केवल विभिन्न चरणों में चाही गई वनभूमि के अनुसार ही प्राप्त की जाये।

भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन</td>
</tr>
</table>

		दिनांक 29.12.2023 के बिन्दु क्रमांक–11 (10) के अनुसार 1000 हेक्टेयर से अधिक के प्रस्तावों में चरणों में भारत सरकार द्वारा अनुमति दिये जाने का प्रावधान है। (छायाप्रति परिशिष्टि–3 में संलग्न है।)

अतः उपरोक्तानुसार अनुरोध है कि प्रकरण में भारत सरकार की आवश्यक अनुमति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

27.02.24

(एच.एस.मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ–3 / 16 / 2018 / 10–11 / 1285 भोपाल, दिनांक 27-2-24

प्रतिलिपिः–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.), वन भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) वृत्त होशंगाबाद / वृत्त खण्डवा / वृत्त बैतूल, मध्यप्रदेश।
3. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, हरदा / होशंगाबाद / खण्डवा / उत्तर बैतूल / पश्चिम बैतूल / जबलपुर, मध्यप्रदेश।
4. परियोजना प्रशासक, मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, पी.आई.यु. सिवनी मालावा, जिला नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

27/02/2024

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

D:\AJ\Data-irrigation\Section F-3 (Part-iii).docx

Annexure - 1

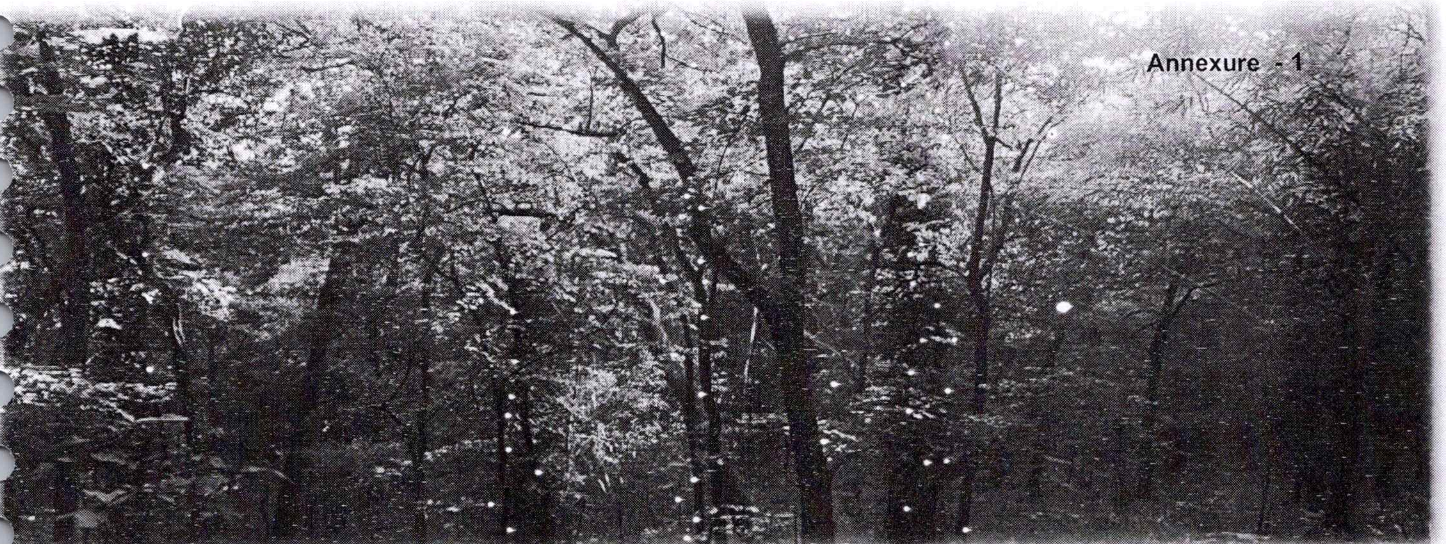

CONSOLIDATED GUIDELINES AND CLARIFICATIONS

issued under

VAN (SANRAKSHAN EVAM SAMVARDHAN) ADHINIYAM, 1980

and

VAN (SANRAKSHAN EVAM SAMVARDHAN) RULES, 2023

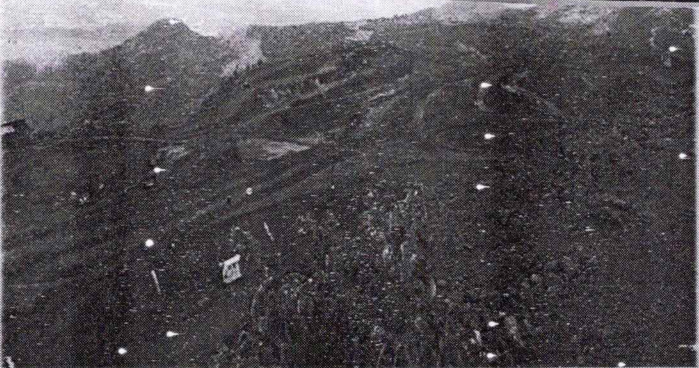

Government of India

Ministry of Environment, Forest and Climate Change

Government of India
Ministry of Environment, Forests and Climate Change
(Forest Conservation Division)

Indira Paryavaran Bhawan,
Aliganj, Jor Bag Road,
New Delhi - 110003.

Dated: 29th December, 2023

ORDER

In exercise of the powers conferred under section 3 C of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980, the Central Government, in suppression to all previous guidelines, hereby issue a Consolidated Guidelines and Clarifications on Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980, Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023, including the guidelines issued under sub-section (3) of section 1A, clause (iii) of sub-section (1) of section 2 and sub-section (2) of section 2 of the Adhiniyam for effective and transparent implementation of the provisions of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980. All the provisions enshrined in these guidelines will be applicable from 1st December, 2023.

This issues with the approval of the competent authority.

Yours faithfully,

29.12.23
(Ramesh Kumar Pandey)
Inspector General of Forest

Distribution to:

1. All concerned
2. Director (Technical), NIC with a request to upload the same on the website of the Ministry

(ii) Proposals will be submitted and processed through PARIVESH portal only. No physical copy of proposal shall be insisted by any authority in the State or in the Central Government. Only exceptional cases, related to defence, public interest or emergent nature, may be allowed by the Central Government to be submitted offline

(iii) Rectifications of the entries made in the online proposals which are beyond the domain of user agency and processing authorities in the State/UT and Regional Offices may be allowed by the Central Government through NIC with the approval of Inspector General of Forests on case to case basis.

(iv) In view the dynamic changes in the various guidelines based on policy decision of the Central Government or direction of Courts/Tribunals, the Central Government may modify the online modules for submission, processing and approval of the proposals to align the online modules with the provisions of guidelines and policy decisions.

(v) The user agency shall submit an undertaking along with the proposal submitted online to abide by all the provisions of the Adhiniyam, Rules and guidelines issued thereunder by the Central Government from time to time, applicable to their project.

(vi) Species-wise and diameter class-wise abstract of trees to be felled should be furnished in the prescribed form. Total enumeration is necessary only up to 10 hectares. For larger areas, species-wise and diameter class-wise abstract of trees may be computed either from the working plans or by standard sampling methods.

(vii) Proposal seeking prior approval of the Central Government under the provisions of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 should invariably be accompanied with cost benefit analysis in accordance with the provisions of guidelines enclosed at **Annexure-I**.

(viii) Inclusion of activities in Annual Plan Operation (APO) of CAMPA of those proposals where 'final approval' has not been accorded under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 shall not be considered. The State Governments/Union Territory Administrations shall ensure that after obtaining 'in-principle' approval of the Central Government under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980, efforts should be made to ensure compliance of 'in-principle' approval and to obtain 'Final' approval as soon as possible to avoid *fait accompli* situation and also to ensure timely implementation of provisions of APOs containing the mitigating measures in lieu of non-forestry use of forest land allowed by the Central Government.

(ix) Completeness of the proposal, submitted by the State Government and Union territory Administration, shall be assessed, as per the checklist annexed at **Annexure-V** before its submission to the Regional Empowered Committee and Advisory Committee.

कार्यालय परियोजना प्रशासक
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज,
सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

फोन नं.:- +917570299010 ई-मेल:- piumorandganjal@gmail.com

पत्र क्र.......73....................... सिवनी मालवा, दिनांक....19/01/24

प्रति,

वन्यजीव संरक्षण ट्रस्ट,
मुंबई, महाराष्ट्र

विषय:- जिला नर्मदापुरम, हरदा,खंडवा एवं बैतूल के अंतर्गत मोरंड गंजाल संयुक्त परियोजना के निर्माण में आवेदित 2250.05 हेक्टे. वन भूमि में वन्य प्राणी प्रबंधन योजना हेतु आपका कोटेशन प्रदाय करने बाबत। **(वन प्रस्ताव क्र. FP/MP/IRRIG/36231/2018)**

संदर्भ :-. 1. अपर प्रधान ,मुख्य वन संरक्षक -भू)प्रबंध (भोपाल) म.प्र (.का पत्र क्र. / एफ- 3 /16/2018/10-11/99, दिनांक 04.01.2024

2. मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र. का पत्र क्र. /व.त. अ. - 1/GEN.-520/11059,दिनांक 29.12.2023

3. भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्र 8-16/2023- FC, दिनांक 20.09.2023

---------00----------

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली ने मोरंड गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 2250.05 हेक्टेयर वनभूमि एवं 1277.694 हेक्ट. गैर वनभूमि के व्यपवर्तन के प्रस्ताव में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने से पूर्व अतिरिक्त (xiv) बिन्दुओ की जानकारी चाही गयी है। भारत सरकार द्वारा परिपत्र के बिंदु क्र. 06 में वन्य प्राणी कोरिडोर के विखंडित होने एवं इसके अन्य विकल्प तथा मिटिगेशंन मेजर्स के सम्बन्ध में मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक का अभिमत चाहा गया है।

1. मोरंड डेम - मोरंड डेम हेतु चयनित क्षेत्र 2287.705 हेक्ट. (1438.77 हेक्ट. वन भूमि एवं 848.935 हेक्ट. गैर वन भूमि) का अधिकांश भाग वनमण्डल (सामान्य) नर्मदापुरम (1215.42 हेक्ट. वन वन भूमि एवं 775.864 हेक्ट. गैर वन भूमि) के अंतर्गत तथा आंशिक भाग वनमंडल (सामान्य) उत्तर बैतूल (188.89 हेक्ट. वन भूमि) एवं पश्चिम बैतूल (34.46 हेक्ट. वन भूमि एवं 73.071 हेक्ट. गैर वन भूमि) के अंतर्गत स्थित है। मोरंड डेम हेतु चयनित क्षेत्र भारत शासन की अनुमति F.No. 1-22/2009-NTCA दिनांक 27.01.2015 से स्वीकृत Tiger Conservation plan के अनुसार सतपुड़ा मेलघाट कोरिडोर के अंतर्गत स्थित है।

2. गंजाल डेम - गंजाल डेम हेतु चयनित क्षेत्र 1095.456 हेक्ट. (809.09 हेक्ट. वन भूमि एवं 286.366 हेक्ट. गैर वनभूमि) का सम्पूर्ण भाग वन मंडल (सामान्य) हरदा के अंतर्गत है। गंजाल डेम हेतु चयनित क्षेत्र भारत शासन की अनुमति F.No. 1-22/2009-NTCA दिनांक 27.01.2015 से स्वीकृत Tiger Conservation plan के अनुसार सतपुड़ा मेलघाट कोरिडोर के अंतर्गत स्थित है।

अतः लेख है कि भारत सरकार के उक्त परिपत्र दिनांक 20.09.2023 के बिंदु क्रमांक - 6 के पालन में मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक म.प्र. का अभिमत प्राप्त करने हेतु प्रश्नाधीन क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्यन होना आवश्यक है। वैज्ञानिक अध्यन एवं वांछित Detrimental effects of submergence of forest land का आकलन एवं मिटिगेशन मेजर्स सहित वन्य प्राणी प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु आपका कोटेशन एवं समय सीमा की जानकारी सहित प्रदान करने का कष्ट करे।

संलग्न – संदर्भित पत्र

सम्पर्क सूत्र - फोन नं.: +919893708708

ईमेल - khalwamg@gmail.com

(आर.एल.बावरिया)
परियोजना प्रशासक,
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई(पी.आई.यु.)
सिवनी मालवा, दिनांक............

पत्र क्र.....74.........

प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान, मुख्य वन संरक्षक (भू- प्रबंध) भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
3. क्षेत्र संचालक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
4. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) वृत्त नर्मदापुरम,/ वृत्त बैतूल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
5. वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल नर्मदापुरम / हरदा / उत्तर बैतूल / पश्चिम बैतूल, (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
6. परियोजना संचालक, परियोजना प्रबंधक इकाई, मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, (पी.एम.यु.) सनावद, जिला खरगोन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(आर.एल.बावरिया)
परियोजना प्रशासक
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज
परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यु.)

23/1/24

कार्यालय परियोजना प्रशासक
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज,
सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

फोन नं.:- +917570299010 ई-मेलः- piumorandganjal@gmail.com

पत्र क्र......71...... सिवनी मालवा, दिनांक..19/01/24

प्रति,

भारतीय वन प्रबंधन संस्थान
भोपाल, मध्य प्रदेश,

विषय:- जिला नर्मदापुरम, हरदा,खंडवा एवं बैतूल के अंतर्गत मोरंड गंजाल संयुक्त परियोजना के निर्माण में आवेदित 2250.05 हेक्टे. वन भूमि में वन्य प्राणी प्रबंधन योजना हेतु आपका कोटेशन प्रदाय करने बाबत।
(वन प्रस्ताव क्र. FP/MP/IRRIG/36231/2018)

संदर्भ :-. **1.** अपर प्रधान ,मुख्य वन संरक्षक -भू)प्रबंध (भोपाल) म.प्र (.का पत्र क्र. / एफ- 3 /16/2018/10-11/99, दिनांक 04.01.2024

2. मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र. का पत्र क्र. /व.त. अ. -1/GEN.-520/11059,दिनांक 29.12.2023

3. भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्र 8-16/2023- FC, दिनांक 20.09.2023

---------00---------

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली ने मोरंड गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 2250.05 हेक्टेयर वनभूमि एवं 1277.694 हेक्ट. गैर वनभूमि के व्यपवर्तन के प्रस्ताव में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने से पूर्व अतिरिक्त (xiv) बिन्दुओ की जानकारी चाही गयी है। भारत सरकार द्वारा परिपत्र के बिंदु क्र. 06 में वन्य प्राणी कोरिडोर के विखंडित होने एवं इसके अन्य विकल्प तथा मिटिगेशन मेजर्स के सम्बन्ध में मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक का अभिमत चाहा गया है।

1. मोरंड डेम - मोरंड डेम हेतु चयनित क्षेत्र 2287.705 हेक्ट. (1438.77 हेक्ट. वन भूमि एवं 848.935 हेक्ट. गैर वन भूमि) का अधिकांश भाग वनमण्डल (सामान्य) नर्मदापुरम (1215.42 हेक्ट. वन भूमि एवं 775.864 हेक्ट. गैर वन भूमि) के अंतर्गत तथा आंशिक भाग वनमंडल (सामान्य) उत्तर बैतूल (188.89 हेक्ट. वन भूमि) एवं पश्चिम बैतूल (34.46 हेक्ट. वन भूमि एवं 73.071 हेक्ट. गैर वन भूमि) के अंतर्गत स्थित है। मोरंड डेम हेतु चयनित क्षेत्र भारत शासन की अनुमति F.No. 1-22/2009-NTCA दिनांक 27.01.2015 से स्वीकृत Tiger Conservation plan के अनुसार सतपुड़ा मेलघाट कोरिडोर के अंतर्गत स्थित है।

2. गंजाल डेम - गंजाल डेम हेतु चयनित क्षेत्र 1095.456 हेक्ट. (809.09 हेक्ट. वन भूमि एवं 286.366 हेक्ट. गैर वनभूमि) का सम्पूर्ण भाग वन मंडल (सामान्य) हरदा के अंतर्गत है। गंजाल डेम हेतु चयनित क्षेत्र भारत शासन की अनुमति F.No. 1-22/2009-NTCA दिनांक 27.01.2015 से स्वीकृत Tiger Conservation plan के अनुसार सतपुड़ा मेलघाट कोरिडोर के अंतर्गत स्थित है।

अतः लेख है कि भारत सरकार के उक्त परिपत्र दिनांक 20.09.2023 के बिंदु क्रमांक - 6 के पालन में मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक म.प्र. का अभिमत प्राप्त करने हेतु प्रश्नाधीन क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्यन होना आवश्यक है। वैज्ञानिक अध्यन एवं वांछित Detrimental effects of submergence of forest land का आकलन एवं मिटिगेशन मेजर्स सहित वन्य प्राणी प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु आपका कोटेशन एवं समय सीमा की जानकारी सहित प्रदान करने का कष्ट करे।

संलग्न – संदर्भित पत्र

सम्पर्क सूत्र - फोन नं.: -+919893708708

ईमेल - khalwamg@gmail.com

(आर.एल.बावरिया)
परियोजना प्रशासक,
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई(पी.आई.यु.)
सिवनी मालवा, दिनांक............

पत्र क्र.....72............

प्रतिलिपिः-

1. अपर प्रधान, मुख्य वन संरक्षक (भू- प्रबंध) भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
3. क्षेत्र संचालक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
4. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) वृत्त नर्मदापुरम,/ वृत्त बैतूल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
5. वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल नर्मदापुरम / हरदा / उत्तर बैतूल / पश्चिम बैतूल, (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
6. परियोजना संचालक, परियोजना प्रबंधक इकाई, मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, (पी.एम.यु.) सनावद, जिला खरगोन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(आर.एल.बावरिया)
परियोजना प्रशासक
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज
परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यु.)

23/11/24

कार्यालय परियोजना प्रशासक
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज,
सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

फोन नं.:- +917570299010 ई-मेल:- piumorandganjal@gmail.com

पत्र क्र..........67........ सिवनी मालवा, दिनांक...19/01/24

प्रति,

वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर,
1250 24वीं स्ट्रीट, एन.डब्ल्यू.वाशिंगटन,
डीसी 20037

विषय:- जिला नर्मदापुरम, हरदा,खंडवा एव बैतूल के अंतर्गत मोरंड गंजाल संयुक्त परियोजना के निर्माण में आवेदित 2250.05 हेक्टे. वन भूमि में वन्य प्राणी प्रबंधन योजना हेतु आपका कोटेशन प्रदाय करने बाबत।
(वन प्रस्ताव क्र. FP/MP/IRRIG/36231/2018)

संदर्भ :-. 1. अपर प्रधान ,मुख्य वन संरक्षक -भू)प्रबंध (भोपाल) म.प्र (.का पत्र क्र. / एफ- 3 /16/2018/10-11/99, दिनांक 04.01.2024

2. मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र. का पत्र क्र. /व.त. अ. -1/GEN.-520/11059,दिनांक 29.12.2023

3. भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्र 8-16/2023- FC, दिनांक 20.09.2023

---------00----------

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली ने मोरंड गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 2250.05 हेक्टेयर वनभूमि एवं 1277.694 हेक्ट. गैर वनभूमि के व्यपवर्तन के प्रस्ताव में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने से पूर्व अतिरिक्त (xiv) बिन्दुओ की जानकारी चाही गयी है । भारत सरकार द्वारा परिपत्र के बिंदु क्र. 06 में वन्य प्राणी कोरिडोर के विखंडित होने एवं इसके अन्य विकल्प तथा मिटिगेशन मेजर्स के सम्बन्ध में मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक का अभिमत चाहा गया है।

1. मोरंड डेम - मोरंड डेम हेतु चयनित क्षेत्र 2287.705 हेक्ट. (1438.77 हेक्ट. वन भूमि एवं 848.935 हेक्ट. गैर वन भूमि) का अधिकांश भाग वनमण्डल (सामान्य) नर्मदापुरम (1215.42 हेक्ट. वन वन भूमि एवं 775.864 हेक्ट. गैर वन भूमि) के अंतर्गत तथा आंशिक भाग वनमंडल (सामान्य) उत्तर बैतूल (188.89 हेक्ट. वन भूमि) एवं पश्चिम बैतूल (34.46 हेक्ट. वन भूमि एवं 73.071 हेक्ट. गैर वन भूमि) के अंतगत स्थित है । मोरंड डेम हेतु चयनित क्षेत्र भारत शासन की अनुमति F.No. 1-22/2009-NTCA दिनांक 27.01.2015 से स्वीकृत Tiger Conservation plan के अनुसार सतपुड़ा मेलघाट कोरिडोर के अंतर्गत स्थित है ।

2. गंजाल डेम - गंजाल डेम हेतु चयनित क्षेत्र 1095.456 हेक्ट. (809.09 हेक्ट. वन भूमि एवं 286.366 हेक्ट. गैर वनभूमि) का सम्पूर्ण भाग वन मंडल (सामान्य) हरदा के अंतर्गत है । गंजाल डेम हेतु चयनित क्षेत्र भारत शासन की अनुमति F.No. 1-22/2009-NTCA दिनांक 27.01.2015 से स्वीकृत Tiger Conservation plan के अनुसार सतपुड़ा मेलघाट कोरिडोर के अंतर्गत स्थित है ।

अतः लेख है कि भारत सरकार के उक्त परिपत्र दिनांक 20.09.2023 के बिंदु क्रमांक - 6 के पालन में मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक म.प्र. का अभिमत प्राप्त करने हेतु प्रश्नाधीन क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्यन होना आवश्यक है। वैज्ञानिक अध्यन एवं वांछित Detrimental effects of submergence of forest land का आकलन एवं मिटिगेशन मेजर्स सहित वन्य प्राणी प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु आपका कोटेशन एवं समय सीमा की जानकारी सहित प्रदान करने का कष्ट करे।

संलग्न – संदर्भित पत्र

सम्पर्क सूत्र - फोन नं.: -+919893708708

ईमेल - khalwamg@gmail.com

(आर.एल.बावरिया)
परियोजना प्रशासक,
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई(पी.आई.यु.)
सिवनी मालवा, दिनांक............

पत्र क्र..........68.......

प्रतिलिपिः-

1. अपर प्रधान, मुख्य वन संरक्षक (भू- प्रबंध) भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
3. क्षेत्र संचालक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
4. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) वृत्त नर्मदापुरम,/ वृत्त बैतूल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
5. वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल नर्मदापुरम / हरदा / उत्तर बैतूल / पश्चिम बैतूल, (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
6. परियोजना संचालक, परियोजना प्रबंधक इकाई, मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, (पी.एम.यु.) सनावद, जिला खरगोन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(आर.एल.बावरिया)
परियोजना प्रशासक
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज
परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यु.)

23/1/24

कार्यालय परियोजना प्रशासक
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज,
सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

फोन नं.:- +917570299010 ई-मेलः- piumorandganjal@gmail.com

पत्र क्र. 65 सिवनी मालवा, दिनांक 19/01/24

प्रति,

भारतीय वन्यजीव संस्थान,
देहरादून, उत्तराखंड

विषयः- जिला नर्मदापुरम, हरदा,खंडवा एवं बैतूल के अंतर्गत मोरंड गंजाल संयुक्त परियोजना के निर्माण में आवेदित 2250.05 हेक्टे. वन भूमि में वन्य प्राणी प्रबंधन योजना हेतु आपका कोटेशन प्रदाय करने बाबत।
(वन प्रस्ताव क्र. FP/MP/IRRIG/36231/2018)

संदर्भ :-. 1. अपर प्रधान ,मुख्य वन संरक्षक -भू)प्रबंध (भोपाल) म.प्र (.का पत्र क्र. / एफ- 3 /16/2018/10-11/99, दिनांक 04.01.2024
2. मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र. का पत्र क्र. /व.त. अ. -1/GEN.-520/11059,दिनांक 29.12.2023
3. भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्र 8-16/2023- FC, दिनांक 20.09.2023

---------00----------

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली ने मोरंड गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 2250.05 हेक्टेयर वनभूमि एवं 1277.694 हेक्ट. गैर वनभूमि के व्यपवर्तन के प्रस्ताव में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने से पूर्व अतिरिक्त (xiv) बिन्दुओ की जानकारी चाही गयी है। भारत सरकार द्वारा परिपत्र के बिंदु क्र. 06 में वन्य प्राणी कोरिडोर के विखंडित होने एवं इसके अन्य विकल्प तथा मिटिगेशन मेजर्स के सम्बन्ध में मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक का अभिमत चाहा गया है।

1. मोरंड डेम - मोरंड डेम हेतु चयनित क्षेत्र 2287.705 हेक्ट. (1438.77 हेक्ट. वन भूमि एवं 848.935 हेक्ट. गैर वन भूमि) का अधिकांश भाग वनमण्डल (सामान्य) नर्मदापुरम (1215.42 हेक्ट. वन भूमि एवं 775.864 हेक्ट. गैर वन भूमि) के अंतर्गत तथा आंशिक भाग वनमंडल (सामान्य) उत्तर बैतूल (188.89 हेक्ट. वन भूमि) एवं पश्चिम बैतूल (34.46 हेक्ट. वन भूमि एवं 73.071 हेक्ट. गैर वन भूमि) के अंतर्गत स्थित है। मोरंड डेम हेतु चयनित क्षेत्र भारत शासन की अनुमति F.No. 1-22/2009-NTCA दिनांक 27.01.2015 से स्वीकृत Tiger Conservation plan के अनुसार सतपुड़ा मेलघाट कोरिडोर के अंतर्गत स्थित है।

2. गंजाल डेम - गंजाल डेम हेतु चयनित क्षेत्र 1095.456 हेक्ट. (809.09 हेक्ट. वन भूमि एवं 286.366 हेक्ट. गैर वनभूमि) का सम्पूर्ण भाग वन मंडल (सामान्य) हरदा के अंतर्गत है। गंजाल डेम हेतु चयनित क्षेत्र भारत शासन की अनुमति F.No. 1-22/2009-NTCA दिनांक 27.01.2015 से स्वीकृत Tiger Conservation plan के अनुसार सतपुड़ा मेलघाट कोरिडोर के अंतर्गत स्थित है।

अतः लेख है कि भारत सरकार के उक्त परिपत्र दिनांक 20.09.2023 के बिंदु क्रमांक - 6 के पालन में मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक म.प्र. का अभिमत प्राप्त करने हेतु प्रश्नाधीन क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्यन होना आवश्यक है। वैज्ञानिक अध्यन एवं वांछित Detrimental effects of submergence of forest land का आकलन एवं मिटिगेशन मेजर्स सहित वन्य प्राणी प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु आपका कोटेशन एवं समय सीमा की जानकारी सहित प्रदान करने का कष्ट करे।

संलग्न – संदर्भित पत्र

सम्पर्क सूत्र - फोन नं.: -+919893708708

ईमेल - khalwamg@gmail.com

(आर.एल.बावरिया)
परियोजना प्रशासक,
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई(पी.आई.यु.)
सिवनी मालवा, दिनांक............

पत्र क्र..........66........

प्रतिलिपिः-

1. अपर प्रधान, मुख्य वन संरक्षक (भू- प्रबंध) भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
3. क्षेत्र संचालक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
4. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) वृत नर्मदापुरम,/ वृत्त बैतूल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
5. वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल नर्मदापुरम / हरदा / उत्तर बैतूल / पश्चिम बैतूल, (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
6. परियोजना संचालक, परियोजना प्रबंधक इकाई, मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, (पी.एम.यु.) सनावद, जिला खरगोन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(आर.एल.बावरिया)
परियोजना प्रशासक
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज
परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यु.)

23/1/24

CHAPTER-9

IRRIGATION AND HYDRO-ELECTRIC PROJECTS, INCLUDING CATCHMENT AREA TREATMENT (CAT) PLAN

9.1. Proposals for diversion of forest lands falling within an irrigation / hydroelectric project need to be processed in their entirety to avoid creation of *fait accompli* situations. However, keeping in view the long gestation period for such projects, user agency may split such projects into different phases for valid and cogent reasons. State Govt. while submitting proposals to obtain "in principle" approval of Central Government under the Act for diversion of the entire forest land required for the project, may intimate the extent of forest land required and time schedule for execution of its each phase as may be specified by them, and may request the Central Government to consider grant of 'final' approval under the Act in phased manner. In such cases, at the time of submission of the proposal, scheme for compensatory afforestation for the forest land required for execution of initial phases, consisting of *inter-alia* the dam, reservoir and main canals originating from the reservoir as indicated by the State Government may only insisted upon. The Regional Empowered Committee while examining such proposals shall stipulate time schedule for transfer and mutation of non-forest land and funds for creation of Compensatory Afforestation in lieu of the forest land required for execution of remaining phases in favour of the State Forest Department so as to ensure that expenditure incurred on initial phases of the project does not become infructuous.

9.2. Catchment Area Treatment (CAT) plans: A proposal for diversion of forest land for Irrigation/Hydro-electric projects shall invariably be accompanied by detailed CAT plan except in respect of small hydel projects (maximum up to 10 MW capacity), which are either canal head or run-of the river projects and do not involve impounding of water/submergence of forest land.

The CAT Plan is an important and essential plan for enhancing and maintaining the ecological health of the catchment area of the proposed irrigation/hydroelectric project through site-specific biological and engineering measures for conservation of soil & moisture and management of water regime. Among other provisions, the measures should focus on arresting soil erosion, improving effective drainage in the area, and rejuvenation of the degraded eco system in the catchment. Following general principals should be kept in view while formulating CAT plans.

(i) In the dense forest areas major concentration should be on soil & water conservation including water harvesting for which various water harvesting structures like check dams, gully plugging, gabion dams, contour trenches and vegetative structures should be made.

(ii) In the open forest areas besides taking up soil & water conservation measures, plantation of local indigenous tree and shrub species, including rare medicinal plants, should be done. In higher altitudes plantation of chir pine should be avoided.

(iii) The CAT plan should include a component of fodder development on the civil soyam forest or on revenue/private lands in order to meet the requirement of fodder/small timber/fire wood for the local population with a view to reduce pressure on the forests.

Rights) Act, 2006 (2 of 2007), shall issue order for diversion, assignment of lease or dereservation, as the case may be.

(8) The final order of dereservation under clause (i) of sub-section (1) of section 2 of the Adhiniyam, wherever accorded, shall be published in the official Gazette by the State Government or Union territory Administration, as t' ' case may be, informing dereservation of the forest land;

(9) The whole process of obtaining approval shall be carried out in the online portal developed for this purpose.

(10) Where compliance of condition imposed in the 'In-principle' approval is awaited from the State Government or Union territory Administration, as the case may be, for more than two years, the 'In-Principle' approval shall be deemed to be null and void:

Provided the Central Government may, for the reasons to be recorded in writing, in respect of proposals involving forest land of more than thousand hectares, where 'In-Principle' approval has been obtained, may consider grant of phase-wise 'Final' approval by the competent authority subject to compliance in respect of-

(a) payment of compensatory levies and notification of land identified and accepted for raising Compensatory Afforestation, proportional to the part area for which compliance is submitted; and

(b) any other specific condition that the Central Government may deem fit to have been complied with.

(11) After issue of final approval under sub- rule (7) and Gazette notification under sub-rule (8) the forest land concerned may be handed over or assigned, as the case may be, to the user agency by the State Government or Union territory Administration.

(12) The Regional Office shall monitor the compliance of all conditions imposed at the time of granting 'In-Principle' approval and the State Government or Union territory Administration and the user agency shall also monitor, at least once every year, the compliance of conditions imposed during 'In-Principle' approval and upload the monitoring report in the online portal.

(13) The entire process for processing the proposals by the various authorities in the State shall be completed within the time limit specified in **Schedule-I** appended to these rules.

12. Proposal seeking prior approval of Central Government for working plan.-

(1) The Nodal Officer of the State Government or Union territory Administration shall submit the draft Working Plan of a Forest Division, duly prepared in accordance with the provisions of the National Working Plan Code, along with the recommendation of the State Consultative Committee, in the online portal for prior approval of the Central Government.

(2) The draft Working Plan shall include, *inter alia*, details of forest land diverted, corresponding Compensatory Afforestation lands and status of afforestation thereon.

(3) the draft Working Plan submitted to the Central Government shall be examined by the Regional Office concerned for its conformity with National Working Plan Code, the National Forest Policy and with preamble of Adiniyam for conservation and augmentation of forests and the Regional Office may accord prior approval to the draft Working Plan along with conditions or without conditions or accord approval along with modification

परिशिष्ट-6

कार्यालय मध्य वृत्त, वन विभाग, रेल्वे स्टेशन रोड, जबलपुर (म0 प्र0) – 482 001

आदेश

क्रमांक/व्यय0/ 67 जबलपुर दिनांक 3/10/2023

जिला होशंगाबाद,बैतूल,हरदा एंव खंडवा के अंतर्गत मोरण्ड–गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 2250.05 हे0 वनभूमि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को उपयोग पर देने के प्रकरण में अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल के पत्र क्र0 एफ–3/16/2018/10–11/4302 दिनांक 26.09.2023 के द्वारा 17,00,000 पौधों को रोपित करने की 11 वर्षीय क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तयार करने के निर्देश के फलस्वरूप वनमण्डलाधिकारी, सा0 वनमण्डल, जबलपुर के पत्र क्र0/मा0चि0/1345 दिनांक 03.10.2023 से प्राप्त पुनरीक्षित 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना प्राकलन का परीक्षण उपरांत एंव व0 म0 अ0 जबलपुर द्वारा की गयी अनुशंसा उपरांत म0प्र0 शासन, वित्त विभाग के पत्र क्र0/1194/191/ 2022/नियम/4/दिनांक 14.07.2022 के माध्यम से म0प्र0 बुक आफ फायनेंसियल पावर्स 1995 के भाग–2 के अंतर्गत अनुक्रमांक 20 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती हैं :–

योजना का नाम	परिक्षेत्र	बीट	कक्ष क्र0	रकबा (हे0 में)	अवधि	अनुमानित राशि (रूपये में)
मोरण्ड–गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण	कुण्डम	ददरगवां	RF 340	40.00	2025–2026 से 2035–36 तक	2,18,56,417.00
		ददरगवां	RF 340	30.00		1,62,16,700.00
		बारंतौरी	O-587, RF-296	40.00		2,19,23,761.00
		डबरा	RF-311	25.00		1,44,50,336.00
		बघराजी	O-593	35.00		2,03,39,046.00
			योग	170.00		9,47,86,260.00

उक्त तकनीकी स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन हैं :–

(1) इस कार्य की उपयोगिता प्राक्कलन अनुसार कार्य के लिये हैं । यदि प्रस्तावों में कोई परिवर्तन स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक हो तो अनुमोदन उपरांत कराऐं। इस स्वीकृति के अधीन उक्त कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर प्राप्त राशि के अंतर्गत ही व्यय करेगें, केवल तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कार्य प्रारंभ न कराया जावें ।

(2) कार्य का संपादन तकनीकी स्वीकृति के साथ संलग्न प्राक्कलन एवं मानचित्र में दर्शित तकनीकी मापदण्डों के अनुसार कराया जावे । स्थल किसी योजना के कार्य हेतु ओवरलेप न हो ध्यान रखा जाये इसकी जवाबदारी वनमण्डलाधिकारी की रहेगी। कार्य के दौरान स्थल की भौगोलिक स्थिति के अनुसार किसी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन की आवश्यकता होने पर सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा ।

(3) कोई भी सामग्री क्रय करते समय मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 का पालन करेंगे।

(4) किसी भी प्रकार के परिवर्तन स्थल/प्रोजेक्ट में उल्लेखित कार्यो के परिवर्तन की दशा में पुनरीक्षित तकनीकी जारी करायेगें ।

(5) कार्य प्रारंभ के पूर्व विस्तृत कार्यवार स्थल अनुरूप डी0पी0आर0 तैयार कर कार्य प्रारंभ करायेगें। उक्त निर्देशों के अभाव में तकनीकी स्वीकृति स्वयं निरस्त मानी जावेगी।

(कमल अरोरा, भा0व0से0)
वन संरक्षक
मध्यवृत्त जबलपुर

Email 12.22 PM
04-10-23

पृ0क्रमांक/मा0चि0/ 6713 जबलपुर, दिनांक 9/10/2023

प्रतिलिपि :– 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध) म0 प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित ।

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) म0 प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

3. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जबलपुर की ओर उनके पत्र क्र0 /मा0चि0 /1345 दिनांक 03.10.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वन संरक्षक,
मध्यवृत्त जबलपुर

आदेश द्वारा एम.आर. बघेल (भा.व.से.) वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन

:: **आदेश** ::

आदेश क्रमांक/तकनीकी/2024/13 उज्जैन, दिनांक 08-02-2024

प्रकरण अन्तर्गत वनमण्डलाधिकारी शाजापुर द्वारा उनके पत्र क्रं./माचि/2024/420 दिनांक 29–01–2024 से प्रेषित प्रस्ताव अनुसार जिला होशंगाबाद, बैतूल, हरदा एवं खण्डवा के अन्तर्गत मोरण्ड–गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 2250.05 हे. वनभूमि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को उपयोग पर देने के प्रकरण मे न्यायालय कलेक्टर जिला आगर–मालवा द्वारा निम्नानुसार आदेशो से 275.28 हे. गैर वनभूमि (ग्राम गरड़ा की 93.38 हे., ग्राम श्यामपुरा की 62.86 हे., ग्राम बीड माधौपुर की 85.06 हे. एवं ग्राम डोंगरगांव की 33.98 हे.) वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित की गई है।

1. न्यायालय कलेक्टर जिला आगर–मालवा म.प्र. का प्रकरण क्रं. 0029/अ–20(3)/2021–22 दिनांक 21.09.2021 पृ.क./रीडर/2021/358 दिनांक 21.09.2021
2. न्यायालय कलेक्टर जिला आगर–मालवा म.प्र. का प्रकरण क्रं. 0029/अ–20(3)/2021–22 दिनांक 21.09.2021 पृ.क./रीडर/2021/359 दिनांक 21.09.2021
3. न्यायालय कलेक्टर जिला आगर–मालवा म.प्र. का प्रकरण क्रं. 0029/अ–20(3)/2021–22 दिनांक 21.09.2021 पृ.क./रीडर/2021/360 दिनांक 21.09.2021
4. न्यायालय कलेक्टर जिला आगर–मालवा म.प्र. का प्रकरण क्रं. 0029/अ–20(3)/2021–22 दिनांक 21.09.2021 पृ.क./रीडर/2021/361 दिनांक 21.09.2021

उपरोक्तानुसार आवंटित गैर वनभूमि 275.28 हे. मे से ग्राम श्यामपुरा की 62.86 हे. गैर वनभूमि का कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही प्रचलित है एवं 212.42 हे. गैर वनभूमि की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाऐं वनमण्डलाधिकारी शाजापुर द्वारा निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रेषित की है।

क.	तहसील	ग्राम का नाम	आवंटित रकबा	सर्वे नम्बर	वैकल्पिक वृक्षा. रोपण योजना रकबा	रोपण योग्य रकबा	योजना अनुसार प्रस्तावित पौधा संख्या	योजना राशि
1	सुसनेर	गरडा	93.380	292/2, 304/1, 304/3, 305, 308, 309, 310, 311	78.380	23.380	37000	21193400
2				219	15.000	10.000	15000	10315448
3	सुसनेर	बीड माधौपुर	85.060	215	4.000	2.000	2000	4135808
4				190,192,193,199, 213, 215	38.250	21.000	33000	17628413
5				151,158,160,	19.090	10.000	16000	11238128
6				34,35	20.720	10.000	16000	11301378
7				16	3.000	1.000	1000	1541984
8	सुसनेर	डोगरगांव	33.980	461 to 467	33.980	20.000	32000	16086488
	महायोग		**212.420**		**212.420**	**97.380**	**152000**	**93441047**

वनमण्डलाधिकारी, (सा.) वनमण्ड़ल शाजापुर द्वारा उपरोक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाऐं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) के पत्र क्रं. 4050 दिनांक 30–12–2019 से प्रेषित मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अनुसार निर्धारित प्रारुप पर तैयार कर प्रस्तुत की है। अतः म.प्र. बुक ऑफ फायनेंशनल पॉवर 2022 वॉल्यूम-2 में वन विभाग को प्रदत्त अधिकार के बिंदु क्रमांक 20 में निहित एवं प्रदत्त वित्तीय अधिकारो का उपयोग करते हुए वनमण्ड़लाधिकारी शाजापुर द्वारा प्रेषित उपरोक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाओं की Provisional तकनीकी स्वीकृती निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है :–

1) समस्त कार्य स्वीकृत जॉब दरो निर्धारित नार्म्स एवं बजट प्रावधानो के अन्तर्गत ही कराये जावे। यदि किसी कार्य की जॉब दर स्वीकृत न हो तो, स्वीकृती हेतु दर प्रस्तुत की जावे।
2) कार्य की गुणवत्ता उत्तम हों।
3) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञाप क्र./डी./3202/3827/2001/10/3 दिनांक 7 दिसंबर 2001 एवं क्रमांक–एफ–03-11/2018/10-2 दिनांक 14 मई 2019 से प्रसारित दिशा निर्देशों की कडाई से पालना सुनिश्चित करें।
4) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र./572 दिनांक 07-02-2002 एवं 79 दिनांक 08-01-2018 में निहित निर्देशों की कडाई से पालना की जावें।
5) सामग्री क्रय करते समय म.प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन अधिनियम 2015 की धारा 7, 9, 10 एवं 11 के भण्ड़ार नियमो का पालन अनिवार्य रूप से किया जावे। भण्डार क्रय नियमो के अन्तर्गत अनुसूची 'अ' मे सम्मिलित सामग्री म.प्र. लघु उद्योग निगम अथवा भारत सरकार के गर्वमेंट ई–मार्केट पोर्टल से ही क्रय की जावे। जो सामग्री राशि रू. 2.50 लाख के अन्दर तक की कोटेशन द्वारा प्राप्त की जानी है, उसे क्रय समिति से परीक्षण कराया जावे तथा अनुमोदन वनमण्ड़लाधिकारी द्वारा किया जावे।

6) फेसिंग पोल/जाली/तार/लोहा/स्टील एवं अन्य सभी क्रय सामग्रियों का सत्यापन उपवनमण्ड़लाधिकारी द्वारा किया जावेगा। क्रय तथा उपयोग की सामग्री स्टोर पंजी में स्टोर प्रभारी द्वारा अनिवार्यतः इंद्राज की जावेगी, जिसकी पुष्टि वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा की जावेगी।

7) प्रस्तावित कार्य का वनमण्ड़लाधिकारी/उपवनमण्ड़लाधिकारी/वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा कार्य अवधि में न्यूनतम 25% वनमण्ड़लाधिकारी, 50% उपवनमण्ड़लाधिकारी एवं वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा 100% स्थल निरीक्षण अनिवार्य किया जावेगा।

8) वनमण्ड़लाधिकारी यह सुनिश्चित करे कि, कार्य आयोजना में निहित प्रावधानों के विपरीत कोई कार्य न हो। यदि विचलन की आवश्यकता हो तो तदनुसार प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को भेजे तथा स्वीकृती उपरांत ही कार्य कराये जावे।

9) शासन तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक, आर्थिक तथा तकनीकी निर्देशों के पालन की जवाबदारी वनमण्ड़लाधिकारी की रहेगी।

10) मौके पर कार्य करने वाले कर्मचारी के पास स्वीकृती की प्रति, माप पुस्तिका, प्रस्तावित माप डिजाईनिंग एवं मानचित्र उपलब्ध होना आवश्यक है।

11) वनमण्ड़लाधिकारी सुनिश्चित करे, कि पूर्व में प्रस्तावित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य तो नही कराया गया है। स्वीकृत क्षेत्र का स्थल परिवर्तन मान्य नही होगा। यदि कोई स्थल कार्य योग्य नही है तो उस स्थल पर कार्य नही कराया जाकर स्वीकृत राशि समर्पित कर अवगत कराया जावे।

12) स्वीकृत कार्य समाप्ति उपरांत, स्वीकृति अनुसार किये गये कार्यो का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र मे इस कार्यालय को भेजा जावे।

13) मुख्यतः कार्य मजदूरो से कराया जावे, अत्यंत आवश्यक होने पर मजदूरो की उपलब्धता न होने पर ही यांत्रिकी साधन से कार्य कराया जावे।

14) स्थल पर रोपण होने पर मानक आकार के पौधे लगाये जावे।

15) रोपण मूल्यांकन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रं. 3410 एवं दिनांक 13—11—2013 के आधार पर रिकॉर्ड रखा जावे एवं वृक्षारोपण पंजी मे चस्पा किया जावे।

16) माप पुस्तिका पर कराये गए कार्यो की प्रविष्टि उपरांत वन परिक्षेत्राधिकारी, उपवनमण्ड़लाधिकारी के हस्ताक्षर लिये जावे।

17) किये गये कार्यो की प्रविष्टि कक्ष इतिहास, ई—ग्रीन वॉच पोर्टल, Plantation Monitoring System एवं MIS Portal मे समय—समय पर की जावे।

18) वनमण्ड़लाधिकारी प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 (CAF Rules 2018) के निर्देशो का पालन सुनिश्चित करेगें।

19) स्वीकृत राशि व्यय की अधिकतम सीमा है। परियोजना स्थल पर व्यय मितव्ययता रखते हुए कार्य किये जावे।

20) श्रमिकों को श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित देय न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जावे।

21) क्षेत्र घेराव हेतु फैंसिंग पर Green Hedge अनिवार्य रूप से तैयार किये जावे।

22) योजना मे रोपित किये जाने वाले पौधो का जीवितता प्रतिशत 75 प्रतिशत से अधिक होना अनिवार्य है।

23) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक 558 दिनांक 10.06. 2020 द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

24) परियोजना मे आवेदक संस्था से पर्यवेक्षण शुल्क की राशि नियमानुसार पृथक से ली जाना सुनिश्चित करे।

25) उपरोक्त प्राक्कलन Provisional तकनीकी स्वीकृती प्रदान की गई है। कार्य समाप्त होनें के उपरांत मौके पर वास्तव में कराये गए कार्य अनुसार तकनीकी प्राक्कलन आपके द्वारा प्रस्तुत किये जानें पर अंतिम रुप से तकनीकी स्वीकृती दी जावेगी।

(एम.आर. बघेल)
भा.व.से.
वन संरक्षक
उज्जैन वृत उज्जैन

पृष्ठांकन क्रमांक/तकनीकी/2024/ 707A उज्जैन, दिनांक 08/02/2024

(1) महालेखाकार (ऑडिट) ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(2) वनमण्ड़लाधिकारी (सा.) वनमण्डल शाजापुर की ओर उनके पत्र क्रं./माचि/2024/420 दिनांक 29—01—2024 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वन संरक्षक
उज्जैन वृत उज्जैन

आदेश द्वारा एम.आर. बघेल (भा.व.से.) वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन

:: आदेश ::

आदेश क्रमांक/तकनीकी/2024/14 उज्जैन, दिनांक 08.02.2024

प्रकरण अन्तर्गत वनमण्डलाधिकारी शाजापुर द्वारा उनके पत्र क्रं./माचि/2024/420 दिनांक 29–01–2024 से प्रेषित प्रस्ताव अनुसार जिला होशंगाबाद, बैतूल, हरदा एवं खण्डवा के अन्तर्गत मोरण्ड–गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 2250.05 हे. वनभूमि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को उपयोग पर देने के प्रकरण मे न्यायालय कलेक्टर जिला आगर–मालवा द्वारा निम्नानुसार आदेशो से 275.28 हे. गैर वनभूमि (ग्राम गरड़ा की 93.38 हे., ग्राम श्यामपुरा की 62.86 हे., ग्राम बीड माधौपुर की 85.06 हे. एवं ग्राम डोंगरगांव की 33.98 हे.) वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित की गई है।

1. न्यायालय कलेक्टर जिला आगर–मालवा म.प्र. का प्रकरण क्रं. 0029/अ–20(3)/2021–22 दिनांक 21.09.2021 पृ.क./रीडर/2021/358 दिनांक 21.09.2021
2. न्यायालय कलेक्टर जिला आगर–मालवा म.प्र. का प्रकरण क्रं. 0029/अ–20(3)/2021–22 दिनांक 21.09.2021 पृ.क./रीडर/2021/359 दिनांक 21.09.2021
3. न्यायालय कलेक्टर जिला आगर–मालवा म.प्र. का प्रकरण क्रं. 0029/अ–20(3)/2021–22 दिनांक 21.09.2021 पृ.क./रीडर/2021/360 दिनांक 21.09.2021
4. न्यायालय कलेक्टर जिला आगर–मालवा म.प्र. का प्रकरण क्रं. 0029/अ–20(3)/2021–22 दिनांक 21.09.2021 पृ.क./रीडर/2021/361 दिनांक 21.09.2021

उपरोक्तानुसार आवंटित गैर वनभूमि 275.28 हे. मे से ग्राम श्यामपुरा की 62.86 हे. गैर वनभूमि का कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही प्रचलित है एवं 212.42 हे. गैर वनभूमि की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाओं मे स्थल उपयुक्तता अनुसार 152000 पौधो का रोपण प्रस्तावित किया गया है। शेष 60420 पौधो के रोपण हेतु अन्य बिगड़े वनक्षेत्र मे निम्नानुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाऐं तैयार कर तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रेषित की है।

क्र.	परिक्षेत्र का नाम	वनखण्ड का नाम	कक्ष क्र.	प्रस्तावित रकबा	योजना अनुसार प्रस्तावित पौधा संख्या	योजना राशि
1	आगर	श्यामगढ़	पी–13	30.00	15000	11400876
2		बाजना	पी–22	25.00	12000	9597039
3		महुडिया	पी–14	36.00	33420	15983295
			योग :–	**91.00**	**60420**	**36981210**

वनमण्डलाधिकारी, (सा.) वनमण्ड़ल शाजापुर द्वारा उपरोक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाऐं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) के पत्र क्रं. 4050 दिनांक 30–12–2019 से प्रेषित मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अनुसार निर्धारित प्रारुप पर तैयार कर प्रस्तुत की है। अतः म.प्र. बुक ऑफ फायनेंशनल पॉवर 2022 वॉल्यूम-2 में वन विभाग को प्रदत्त अधिकार के बिंदु क्रमांक 20 में निहित एवं प्रदत्त वित्तीय अधिकारों का उपयोग करते हुए वनमण्ड़लाधिकारी शाजापुर द्वारा प्रेषित उपरोक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाओं की Provisional तकनीकी स्वीकृती निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है :–

1) समस्त कार्य स्वीकृत जॉब दरो निर्धारित नार्म्स एवं बजट प्रावधानो के अन्तर्गत ही कराये जावे। यदि किसी कार्य की जॉब दर स्वीकृत न हो तो, स्वीकृती हेतु दर प्रस्तुत की जावे।
2) कार्य की गुणवत्ता उत्तम हों।
3) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञाप क्र./डी./3202/3827/2001/10/3 दिनांक 7 दिसंबर 2001 एवं क्रमांक–एफ–03-11/2018 /10-2 दिनांक 14 मई 2019 से प्रसारित दिशा निर्देशों की कडाई से पालना सुनिश्चित करें।
4) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र./572 दिनांक 07-02-2002 एवं 79 दिनांक 08-01-2018 में निहित निर्देशों की कडाई से पालना की जावें।
5) सामग्री क्रय करते समय म.प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन अधिनियम 2015 की धारा 7, 9, 10 एवं 11 के भण्डार नियमो का पालन अनिवार्य रूप से किया जावे। भण्डार क्रय नियमो के अन्तर्गत अनुसूची 'अ' मे सम्मिलित सामग्री म.प्र. लघु उद्योग निगम अथवा भारत सरकार के गर्वमेंट ई–मार्केट पोर्टल से ही क्रय की जावे। जो सामग्री राशि रू. 2.50 लाख के अन्दर तक की कोटेशन द्वारा प्राप्त की जानी है, उसे क्रय समिति से परीक्षण कराया जावे तथा अनुमोदन वनमण्ड़लाधिकारी द्वारा किया जावे।
6) फेसिंग पोल/जाली/तार/लोहा/स्टील एवं अन्य सभी क्रय सामग्रियों का सत्यापन उपवनमण्ड़लाधिकारी द्वारा किया जावेगा। क्रय तथा उपयोग की सामग्री स्टोर पंजी में स्टोर प्रभारी द्वारा अनिवार्यतः इंद्राज की जावेगी, जिसकी पुष्टि वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा की जावेगी।

7) प्रस्तावित कार्य का वनमण्ड़लाधिकारी/उपवनमण्ड़लाधिकारी/वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा कार्य अवधि में न्यूनतम 25% वनमण्ड़लाधिकारी, 50% उपवनमण्ड़लाधिकारी एवं वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा 100% स्थल निरीक्षण अनिवार्य किया जावेगा।

8) वनमण्ड़लाधिकारी यह सुनिश्चित करे कि, कार्य आयोजना में निहित प्रावधानों के विपरीत कोई कार्य न हो। यदि विचलन की आवश्यकता हो तो तदनुसार प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को भेजे तथा स्वीकृती उपरांत ही कार्य कराये जावे।

9) शासन तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक, आर्थिक तथा तकनीकी निर्देशों के पालन की जवाबदारी वनमण्ड़लाधिकारी की रहेगी।

10) मौके पर कार्य करने वाले कर्मचारी के पास स्वीकृती की प्रति, माप पुस्तिका, प्रस्तावित माप डिजाईनिंग एवं मानचित्र उपलब्ध होना आवश्यक है।

11) वनमण्ड़लाधिकारी सुनिश्चित करे, कि पूर्व में प्रस्तावित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य तो नही कराया गया है। स्वीकृत क्षेत्र का स्थल परिवर्तन मान्य नही होगा। यदि कोई स्थल कार्य योग्य नही है तो उस स्थल पर कार्य नही कराया जाकर स्वीकृत राशि समर्पित कर अवगत कराया जावे।

12) स्वीकृत कार्य समाप्ति उपरांत, स्वीकृति अनुसार किये गये कार्यो का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र मे इस कार्यालय को भेजा जावे।

13) मुख्यतः कार्य मजदूरो से कराया जावे, अत्यंत आवश्यक होने पर मजदूरो की उपलब्धता न होने पर ही यांत्रिकी साधन से कार्य कराया जावे।

14) स्थल पर रोपण होने पर मानक आकार के पौधे लगाये जावे।

15) रोपण मूल्याकन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रं. 3410 एवं दिनांक 13–11–2013 के आधार पर रिकॉर्ड रखा जावे एवं वृक्षारोपण पंजी मे चस्पा किया जावे।

16) माप पुस्तिका पर कराये गए कार्यो की प्रविष्टि उपरांत वन परिक्षेत्राधिकारी, उपवनमण्ड़लाधिकारी के हस्ताक्षर लिये जावे।

17) किये गये कार्यो की प्रविष्टि कक्ष इतिहास, ई–ग्रीन वॉच पोर्टल, Plantation Monitoring System एवं MIS Portal मे समय–समय पर की जावे।

18) वनमण्ड़लाधिकारी प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 (CAF Rules 2018) के निर्देशो का पालन सुनिश्चित करेगें।

19) स्वीकृत राशि व्यय की अधिकतम सीमा है। परियोजना स्थल पर व्यय मितव्ययता रखते हुए कार्य किये जावे।

20) श्रमिकों को श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित देय न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जावे।

21) क्षेत्र घेराव हेतु फैंसिंग पर Green Hedge अनिवार्य रूप से तैयार किये जावे।

22) योजना मे रोपित किये जाने वाले पौधो का जीवितता प्रतिशत 75 प्रतिशत से अधिक होना अनिवार्य है।

23) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 558 दिनांक 10.06. 2020 द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

24) परियोजना मे आवेदक संस्था से पर्यवेक्षण शुल्क की राशि नियमानुसार पृथक से ली जाना सुनिश्चित करे।

25) उपरोक्त प्राक्कलन Provisional तकनीकी स्वीकृती प्रदान की गई है। कार्य समाप्त होनें के उपरांत मौके पर वास्तव में कराये गए कार्य अनुसार तकनीकी प्राक्कलन आपके द्वारा प्रस्तुत किये जानें पर अंतिम रुप से तकनीकी स्वीकृती दी जावेगी।

(एम.आर. बघेल)
भा.व.से.
वन संरक्षक
उज्जैन वृत उज्जैन

पृष्ठांकन क्रमांक/तकनीकी/2024/ 707B उज्जैन, दिनांक 08/02/2024

(1) महालेखाकार (ऑडिट) ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(2) वनमण्ड़लाधिकारी (सा.) वनमण्डल शाजापुर की ओर उनके पत्र क्रं./माचि/2024/420 दिनांक 29–01–2024 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वन संरक्षक
उज्जैन वृत उज्जैन